

20-4-22

पञ्जाब
उच्च न्यायालय
पालना में 26-4-22 को पत्र है।
Wb.

26-4-22

पञ्जाबली पेश हुई। वादी वकील
अनुपस्थित। न्यायालय समय में
रुक रुक कर बार बार आवाजे
लगावाची गयी। परन्तु न्यायी
वादी वकील और न्यायी स्वयं
वादी उपस्थित हुये। अतः
पञ्जाबली सिविल प्रक्रिया संहिता
के आदेश 9 नियम 3 (अदम
पेशी अदम दायरी) के तहत कार्रवाई
की जाती है। पञ्जाबली कैशबल
में शुमार हो गइर से कम
की जाकर दारिजल दफ्तार हो।

Wb.
उप जिला कलेक्टर
चौथ का बरवाड़ा